न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2017/00193
मिसल नम्बर–69 / 2017

1.श्याम सुन्दर आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
2.ओमप्रकाश आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
3.सत्यनारायण आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
4.गणेश शंकर आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
5.लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासीगण– कैथून तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1.मंदिर श्री महादेव जी विराजमान भीतरिया कुण्ड, कोटा जरिये कान्ता पुत्री श्री नन्दलाल जी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी 3 बी 16, दादाबाड़ी थाने के सामने की गली, दादाबाड़ी कोटा राज0
2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

–अप्राथ
ीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 12/1/2026

उपस्थित–
1.श्री सुधिन्द्र यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री ललित नागर अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम 1
3.सरकार पैरोकार उप0।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 834 रकबा 3.96 हैक्टर वाके ग्राम कैथून मे स्थित है। खसरा नम्बर 836 रकबा 12.71 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण खसरा नम्बर 834 में जाने के लिए नया रास्ता कायम करवाना चाहते है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षो से आम रास्ते के रूप में करते आ रहे है तथा अपने कृषि यंत्र, फसल, ट्रेक्टर आदि लेकर आते जाते है। खसरा नम्बर 836 जो प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते दर्ज है उक्त रास्ते से प्रार्थीगण आते जाते है परन्तु प्रतिवादी नम्बर–1 उक्त रास्ते में आये दिन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व्यवधान उत्पन्न करते है। दिनांक 08.10.2017 को भी प्रार्थीगण उक्त रास्ते से अपने ट्रेक्टर व कमाईण्डर मशीन लेकर जाने लगे तो प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा उक्त रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करते हुए कहा कि मैं आपको उक्त रास्ते में नही आने जाने दूंगी क्योकि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में मेरे खाते दर्ज है जो कि आम रास्ता नही है, परन्तु प्रार्थीगण पिछले काफी वर्षों से उक्त रास्ते जो प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते दर्ज में का उपयोग करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता अंकित नही होने के कारण प्रतिवादी नम्बर–1 आने जाने में व्यवधान उत्पन्न कर देती है, इसलिए प्रार्थीगण के लिए कोई दुसरा बिकल्प अपने खेत में रास्ते के लिए उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थीगण को प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते की उक्त भूमि जिसका उपयोग प्रार्थीगण रास्ते के रूप मे करते आये है, राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है। दिनांक 8.10.2017 को भी प्रतिवादी नम्बर–1 ने प्रार्थीगण को उक्त आम रास्ते जो उसके खाते दर्ज है प्रार्थीगण को नही निकलने देने की धमकी दी और कहा कि मैं उक्त रास्ते को बन्द कर दूंगी और तूम लोगो मे किसी भी सूरत मे मेरे खेत मे होकर आने जाने नही दूंगी। यदि प्रतिवादी नम्बर–1 उक्त कार्य में सफल हो गई और प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया तो प्रार्थीगण को काफी हानि उठानी पड जाऐगी। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 836 पर आम रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 834 में आने जाने के लिए प्रतिवादी के खाते दर्ज खसरा नंबर 836 पर राजस्व रिकार्ड में नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा नक्शा लटठा में भी रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 को जवाब हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये गए परन्तु अप्रार्थी क्रम 1 कि ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया अतः अप्रार्थी क्रम 1 का जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी क्रम 2/तहसीलदार लाडपुरा से तत्थ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 834 पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारगणों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है। एवं उक्त आराजी पर न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा में मुकदमा नं0 106/19 वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में जैरकार है।

हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। प्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) RRT 440, 2018(2) RRT1193, 2018(1) RRT 706 पेश किए गए।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा प्रार्थीगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि विवादित आराजी खसरा नं0 834 पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के पहुंच का मार्ग उपलब्ध है। मौके पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त रास्ता पूर्व में भी चालू व प्रचलित था।

चूंकि प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अतः उक्त परिस्थितियों मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 12/1/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुभार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा